यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक -द्वितीय, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिबन्धक -द्वितीय, हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.08.2017 से 29.08.2017 तक श्री अशोक कुमार, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हिमांशु मणि एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.06.2016 से 28.06.2016 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - समस्त तहसील हरिद्वार क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण :**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	4609.47
2015-16	5721.23
2016-17	5216.43

(ii)(ब) **बजट का विवरणः-**

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2014-15								
2015-16			लागू नहीं					
2016-17								

(स) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। इकाई 'ए' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव वित्त> महानिरीक्षक निबंधन> अपर महानिरीक्षक निबंधन> सहायक महानिरीक्षक निबंधक> उप निबंधक> मुख्य निबंधन लिपिक> निबंधन लिपिक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में -- को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक -द्वीतीय, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओ का संग्रह किया गया।**

राजस्व: माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: लागू नहीं।

(vii) योजना का चयन :- **शून्य**

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 कम स्टाम्प शुल्क लिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.83 लाख ।

कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हरिद्वार के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया किः-

(क) बही सं0 1, जिल्द 3063 के क्रमांक 1771 पर दिनांक 30.03.2017, नगर निगम खाता संख्याः 1138/1014, मालियत विक्रय पत्र ₹ 1,31,17,000/-, सर्किल रेट से मालियत ₹ 1,31,17,000/-, स्टाम्प शुल्क ₹ 6,57,000/-, से सम्बन्धित विलेख में संलग्न भवन के नक्शे में दो तल का उल्लेख किया गया जिनका कवर्ड एरिया 297.39 वर्गमी0 अंकित किया गया । जिसमें छत का कुल क्षेत्रफल 187.36 वर्गमी0 है जिसमें आठ कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, किचन व जीना बने है । प्रथम तल पर नौ कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, किचन बने हैं । मुख्य मार्ग से भवन में प्रवेश हेतु गैलरी 8'x55' का कवर्ड रास्ता गैलरी के रूप में होना अंकित किया गया एवं भवन के तीनों तरफ भवन निर्मित दिखाये गये हैं । इस आधार पर सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्माण हुआ है । इस प्रकार कवर्ड एरिया का शेष क्षेत्रफल = 187.36 वर्गमी0 x 2 = 374.72 – 297.39 वर्गमी0 = 77.33 वर्गमी0 पर स्टाम्प शुल्क की गणना नहीं की गई, जबकि कवर्ड एरिया की गणना कमरे, बाथरूम, लैट्रीन, किचन के क्षेत्रफल से किया जाना चाहिये । इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क ₹ 38,665/- (77.36 वर्गमी0 x ₹ 10,000/- = ₹ 7,73,300/- x 5%) कम लिया गया ।

(ख) बही सं0 1, जिल्द 2711 के क्रमांक 3780 दिनांक 06.05.2016, मालियत विक्रय पत्र ₹ 41,80,000/-, सर्किल से मालियत ₹ 41,80,000/-, भूमि का क्षेत्रफल 111.39 वर्गमी0, खसरा नं0 4/4 व 1/9, स्टाम्प शुल्क ₹ 2,09,000/- से सम्बन्धित विलेख में संलग्न नक्शा के अनुसार भूमि का कुल क्षेत्रफल 111.39 वर्गमी0 है जिसमें भूतल पर तीन कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, किचन व जीना, प्रथम तल पर तीन कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, किचन व जीना तथा द्वितीय तल पर तीन कमरे, लैट्रीन, बाथरूम व जीना निर्मित है और कुल कवर्ड एरिया 246.28 वर्गमी0 अंकित किया गया । इस प्रकार अंकित कवर्ड एरिया तीनों तल समान रूप से निर्मित किया गया है और द्वितीय तल पर जीना होने के कारण ऊपर ममोटी एवं

बाउण्ड्रीवाल/रेलिंग को नहीं दर्शाया गया है । इस प्रकार, कवर्ड एरिया का क्षेत्रफल = 111.39 वर्गमी0 x 3 = 334.17 – 246.28 वर्गमी0 = 87.89 वर्गमी0 x ₹ 10,000/- = ₹ 8,78,900/- x 5% = ₹ 43,945/- कम स्टाम्प शुल्क लिया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तर में उल्लिखित विलेखों का अध्ययनोपरान्त कमी स्टाम्प वसूली हेतु कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किया जायेगा ।

अतः ₹ 82,610/- (₹ 38,665/- + ₹ 43,945/-) का कम स्टाम्प शुल्क लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 निबन्धन शुल्क कम लिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.25 लाख ।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के परिशिष्ट-7 अनुच्छेद-1 की टिप्पणी (1) में यह उल्लेख किया गया, कि किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस जिसमें कई सुभिन्न मामले समाविष्ट हो, ऐसी फीस का योग होगी जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे सम्बन्धित पृथक-पृथक दस्तावेज पर प्रभार्य होगी ।

कार्यालय उपनिबन्धक-द्वितीय, हरिद्वार के वर्ष 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि बही सं0 1, जिल्द सं0 2664 के क्रमांक 2835 दिनांक 06.04.2016, खसरा सं0 878 मि0 व 879/1, मालियत विक्रय पत्र ₹ 33,43,000/-, बाजारी मूल्य ₹ 33,43,000/-, स्टाम्प शुल्क ₹ 1,67,200/-, क्षेत्र- ग्राम- अहमदपुर, कड़च्छ, परगना- ज्वालापुर, तहसील व जिला- हरिद्वार (शंकर आश्रम से पुल जटवाडा तक का भाग) ।

उक्त विलेख पत्र में दो क्रेताओं द्वारा भूमि का क्रय किया गया एवं उनका आपस में कोई पारिवारिक सम्बन्ध भी होना नहीं पाया गया एवं उनके निवास के भी भिन्न भिन्न स्थान अंकित किये गये । उनके द्वारा अपने-अपने हिस्से की क्रय की गयी भूमि का भुगतान कुल धनराशि ₹ 33,43,000/- का ½ = ₹ 16,71,500/- चेक सं0 762606 दिनांक 06.04.2016 ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, जगजीतपुर, हरिद्वार एवं दूसरे क्रेता के द्वारा ₹ 16,71,500/- चेक संख्या 501515 दिनांक 06.04.2016 विजया बैंक, हरिद्वार से भुगतान किया गया था और विलेख में संयुक्त रूप से क्रय किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया था, इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि अलग-अलग क्रय की गयी थी और रजिस्ट्रेशन फीस मात्र ₹ 25,000/- ली गयी थी, जबकि दो रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 50,000/- (₹ 25,000 x 2) लिया जाना था । इस प्रकार ₹ 25,000/- (₹ 50,000/- - ₹ 25,000/-) कम रजिस्ट्रेशन फीस लिया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तर के विलेख को अध्ययन उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ₹ 25,000/- कम रजिस्ट्रेशन फीस लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	भाग-II 'अ'	भाग-II 'अ'	भाग-II 'अ'	भाग-II 'अ'	भाग-II 'अ'	भाग-II 'अ'
14/2013-14	-	1,2,3	-	-	-	1,2,3
20/2014-15	-	1,2	-	2		1

व्यय से संबन्धित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य** -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य** -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपनिबन्धक -द्वितीय, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: ----शून्य-----
2. **सतत् अनियमितताएः** ----शून्य-----
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	**श्री सुमेश्चन्द्र गौतम**	**उ.नि.(25.08.2012 से वर्तमान तक)**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपनिबन्धक -द्वितीय, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

28-09-17

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र